संख्या-12(2)/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-11

प्रेषक,

[illegible]

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर वाराणसी, मुरादाबाद, कन्नौज, गोण्डा एवं प्रतापगढ़ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : 13 जनवरी , 2016

विषय: वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेश्न, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार शासनादेश संख्या-12/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-11, दिनांक 12 जनवरी, 2016 को निरस्त करते हुये गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 95,00,000/- (रूपये पंचानबे लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	सिद्धार्थनगर, पत्र संख्या-402, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015	10,00,000 (कम्बल हेतु)
2	वाराणसी, पत्र संख्या-1094, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	15,00,000 (कम्बल हेतु)
3	मुरादाबाद, पत्र संख्या-626, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	20,00,000 (कम्बल हेतु)

4	कन्नौज, पत्र संख्या-1526, दिनांक 29 दिसम्बर,2015	15,00,000 (कम्बल हेतु)
5	गोण्डा, पत्र संख्या-718(42), दिनांक 31 दिसम्बर, 2015	20,00,000 (कम्बल हेतु)
6	प्रतापगढ़, पत्र संख्या-946, दिनांक 04 जनवरी, 2016	15,00,000 (कम्बल हेतु)
		रू0 95,00,000 (रूपये पंचानबे लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1092/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 04.11.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

संख्या-12(3)/1-10-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 बैजल्ला अवध, [illegible]
एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।

संख्या-12/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर, वाराणसी, मुरादाबाद, कन्नौज, गोण्डा एवं प्रतापगढ़ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक : जनवरी , 2016

विषयः वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-16 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान- प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प्स के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु **रू0 1,05,00,000/- (रूपये एक करोड़ पॉच लाख मात्र)** हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	सिद्धार्थनगर, पत्र संख्या-402, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015	10,00,000 (कम्बल हेतु)
2	वाराणसी, पत्र संख्या-1094, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015	15,00,000 (कम्बल हेतु)
3	मुरादाबाद,	30,00,000

	पत्र संख्या-626, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015	(कम्बल हेतु)
4	कन्नौज, पत्र संख्या-1526, दिनांक 29 दिसम्बर,2015	15,00,000 (कम्बल हेतु)
5	गोण्डा, पत्र संख्या-718(42), दिनांक 31 दिसम्बर, 2015	20,00,000 (कम्बल हेतु)
6	प्रतापगढ़, पत्र संख्या-946, दिनांक 04 जनवरी, 2016	15,00,000 (कम्बल हेतु)
		रू0 1,05,00,000 **(रूपये एक करोड़ पाँच लाख मात्र)**

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-1092/1-10-2014-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 04.11.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुखसचिव ।

संख्या- 12. (1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।